



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य
(पत्रांक-162/2022 दिनांक 12.06.2022)



दिनांक- 12.06.2022 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही (कुल-01)

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त बहादुर पुल कीरा साकिन बुढवा जंगल थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-145/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)

थाना तुर्कपट्टी-

चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जाने वाले अभियान के क्रम में थाना तुर्कपट्टी पुलिस की टीम द्वारा वादी श्री भागवत शर्मा पुत्र रामकिशुन साकिन गडहिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, नसीम पुत्र टिकोरी व बैजू पुत्र अवधकिशोर साकिनान उपरोक्त के द्वारा अभियुक्त नीरज सिंह पुत्र शिव सिंह साकिन गडगिया थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर तुर्कपट्टी को मय बरामद शुदा 1 पीस नेहाई लोहे की, 20 छिन्नी लोहे की, हैब्बर, 1 पीस रेती लोहे की, कमाई, 4 पीस सडसी लोहे की व प्रार्थना पत्र के साथ थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0-183/2022 धारा 380,457,411 IPC में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग पंजीकृत:-

मु0अ0सं0-183/2022 धारा 380,457,411 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त-

नीरज सिंह पुत्र शिव सिंह साकिन गडगिया थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जायप्रकाश पाठक थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 श्री अवधेश सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
3. का0 विश्वजीत कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
4. का0 सतीश कुमार थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।



थाना रामकोला-

रामकोला पुलिस द्वारा एक वारंटी को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2022 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा सिधावे के पास से एक वारण्टी शम्भू पुत्र हीरा गुप्ता सा0 सिधावे थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 275/19 धारा 128 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी—

1. शम्भू पुत्र हीरा गुप्ता सा0 सिधावे थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 शेषनाथ यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

2.का0 अविनाश यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया-

गोहत्या की घटना का अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद कुशीनगर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक

11.06.2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा नेबुआ रायगंज के पास से

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/22 धारा 3/5/8 गोबध अधिनियम से सम्बंधित

वांछित अभियुक्त बशिष्ठ गोड उर्फ पण्डित पुत्र श्री बैकुण्ठ साकिन नेबुआ रायगंज थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बशिष्ठ गोड उर्फ पण्डित पुत्र श्री बैकुण्ठ साकिन नेबुआ रायगंज थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 दीपक सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

2-हे0का0 अब्दुल अलीम थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर

थाना तरयासुजान-

अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.06.2022 में थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा तरयासुजान रेलवे स्टेशन मोढ़ के पास से एक अभियुक्त कुंदन शाह पुत्र मंगल शाह सा0 बांकखास थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 337/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

कुंदन शाह पुत्र मंगल शाह सा0 बांकखास थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 उपेन्द्र यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

2.का0 निशान्त कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

3.का0 आनन्द कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर



जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 42 नफर अभियुक्त को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 56 वाहन।

2.107/116 जा0फौ0 में कार्यवाही-मु0-60, व्यक्ति-192

3.वांछित /वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)

4.आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-01, बरामदगी-10 ली0 कच्ची शराब।

5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-47)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

